राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, कोटा

E mail - me.kota@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ / कोटा / निविदा / 2024–25 / 319 दिनांकः– 17.01.2025

नीलामी सूचना प्रकाशन 02 / 2024–25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खनि अभियन्ता कोटा कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी / सरकारी खसरों में अवैध खनन / निर्गमन चैकिंग के दौरान एमएएसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी काली / बनास जैसी भी जितनी भी जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल Portal https://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रूपये 100 का डी.डी0 / बैंकर्स चैक खनि अभियन्ता कोटा ;MINING ENGINEER KOTA) के नाम जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 18.02.2025 दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, खनिज विभाग प्लॉट नं0 3 टैगोर नगर रावतभाटा रोड़ कोटा से प्राप्त किये जा सकते है।

नीलामी हेतु खनिज काली बजरी का संक्षिप्त विवरण –

क्र.सं.	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या तहसील (जहाँ जब्तशुदा काली बजरी पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना / अमानत राशि (रू0 में)	न्यूनतम बोली राशि (रू0 में) / प्रति टन
1.	ग्राम खेड़ीयामान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी	80 टन	4000	500.00
2.	ग्राम खेडीयादुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी	300 टन	15000	500.00
3.	ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी	300 टन	15000	500.00
4.	ग्राम खातोली, तहसील पीपल्दा जिला कोटा	30 टन	1500	500.00
5.	खसरा संख्या 1408 / 516 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम लाखनी जिला कोटा	30 टन	1500	500.00
6.	खसरा संख्या 539 / 271 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम लाखनी जिला कोटा	100 टन	5000	500.00
7.	खसरा संख्या 1436 / 1383 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम खातोली जिला कोटा	60 टन	3000	500.00
8.	खसरा संख्या 259 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम रामखेड़ा जिला कोटा	40 टन	2000	500.00
9.	खसरा संख्या 1405 / 515 ग्राम खातोली जिला कोटा	35 टन	1750	500.00
10.	खसरा संख्या 01 ग्राम खातोली जिला कोटा	150 टन	7500	500.00
11.	खसरा संख्या 527 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	5000	500.00
12.	खसरा संख्या 525 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	5000	500.00
13.	खसरा संख्या 03 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	5000	500.00
14.	खसरा संख्या 1342 / 57 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम खातोली जिला कोटा	80 टन	4000	500.00
15.	खातोली इटावा रोड़ आवासीय कॉलोनी ग्राम खातोली, इटावा जिला कोटा	870 टन	43500	500.00

नीलामी हेतु बनास बजरी का संक्षिप्त विवरण –

क्र.सं.	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या तहसील (जहाँ जब्तशुदा बनास बजरी पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना / अमानत राशि (रू0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (रू0 में)
1	केशोपुरा तसहील पिपल्दा जिला कोटा	2016 टन	181440	900.00

16 समुहों में पड़े जब्तशुदा खनिज काली बजरी / बनास बजरी की प्रत्येक समुह के लिए अलग–अलग बोली दरें सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 18.02.2025 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, खनिज भवन, प्लॉट नम्बर 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा के कमरा नम्बर 112 में प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 19.02.2025 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खनि अभियन्ता कोटा कक्ष संख्या 114 में खोली जायेगी। नीलामी की शर्ते खनि अभियन्ता, कोटा एवं वेबसाइट mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल Portal https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

17/01/25

(आर0एन0 मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेंगीः–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा के कमरा नम्बर 112 पर रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 18.02.2025 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति में वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता कोटा के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक अलग–अलग ही संलग्न करने होगे। निविदा राशि 10 रू0 प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षैत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 19.02.2025 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता, कोटा के कक्ष संख्या 114 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेठी के पास सुरक्षित होगें एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र कोटा होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्पयुटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची खनि अभियन्ता कोटा को वाटसेप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों का रवाना किया जा सकेगा।
15. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।

16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तौल पर्चियां एवं भरे हुये वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
20. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
21. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

(आर0एन0 मंगल)
खनि अभियन्ता, कोटा
दिनांकः— 17.01.2025

क्रमांकः— खअ/कोटा/अवैध खनन/2024—25/320 — 329
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा—जोन, कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा—वृत्त, कोटा।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), कोटा—वृत्त, कोटा।
8. संबन्धित थाना अधिकारी।
9. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
10. तकनीकी स्टाफ कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17.01.25
खनि अभियन्ता, कोटा